भूली बाई बनाम गुलाब बाई

अपील संख्या : 17/434

11.10.2017	पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण उपस्थित । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी का बेचान दौराने वाद कर दिया । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 अपीलान्ट क्रम 1 की विवाहिता पत्नी थी और उससे जाति के रीति–रिवाज के अनुसार अपीलान्ट क्रम 1 का तलाक हो चुका था और पति–पत्नी के सम्बन्ध समाप्त कर लिये थे इसके पश्चात् अपीलान्ट क्रम 1 ने अपीलान्ट क्रम 2 से नाता विवाह किया था । अपीलान्ट क्रम 1 का रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से जातिय रिति रिवाज के अनुसार तलाक हो चुका था और रेस्पोडेन्ट क्रम 1 अपीलान्ट क्रम 1 की विवाहिता पत्नी नहीं रही है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एक तरफा पारित किया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी भी नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तु करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.2008 निरस्त फमराया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे । रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में घासी लाल का 1/6 हिस्सा था और उसके द्वारा अपने हिस्से से अधिक का बेचान कर दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री बहाल रखी जावे । हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी थी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.2008 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट एवं अन्य पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 27.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा